

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

Registered/Corporate Office:
12th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14- Ashok Marg, Lucknow- 226001
Phone: 0522-2287037
RAX No. : 0522- 2287701 Ext. 4653



रजिस्टर्ड/कारपोरेट कार्यालय :
12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
फोन: 0522-2287037
फैक्स नं० : 0522-2287701 वि.नं.-4653

संख्या- 1765/का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/23-03(10)/2000/वा0-।।।

दिनांक 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निगम कार्यहित में निम्नलिखित अधीक्षण अभियन्ता (वि0/याँ0) को स्तम्भ-04 में उल्लिखित उनके वर्तमान कार्यालय/कार्यस्थल से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-05 में अंकित कार्यालय/कार्यस्थल पर तैनात किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थल	नवीन तैनाती का कार्यालय/स्थल
01	02	03	04	05
01.	श्री शैलेन्द्र प्रताप (200205)	अधीक्षण अभियन्ता (वि0/याँ0)	जल विद्युत उत्पादन मण्डल, पिपरी, सोनभद्र।	जल विद्युत उत्पादन मण्डल, माताटीला, ललितपुर।
02	श्री दान बहादुर यादव (200206)	अधीक्षण अभियन्ता (वि0/याँ0)	जल विद्युत उत्पादन मण्डल, माताटीला, ललितपुर।	जल विद्युत उत्पादन मण्डल, पिपरी, सोनभद्र।

- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक इस आदेश की निर्गमन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को उपरोक्तानुसार तत्काल अवमुक्त किया जाये तथा विद्यमान आदेशों के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्ति की तिथि को वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त होते समय इकाई से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियाँ (पृष्ठ संख्या अंकित कर) तथा चार्ज नोट 02 प्रतियों में तैयार कर एक प्रति नियंत्रक अधिकारी को देंगे तथा एक प्रति स्वयं अपने पास रखेंगे।
- स्थानान्तरण पर नियमानुसार यात्रा भत्ता तथा कार्यभार ग्रहणकाल अनुमन्य होगा।
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या-79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या - 1765/ का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/23-03(10)/2010/ वा0-।।।, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
- निदेशक (तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0)/(एम0पी0एस0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
- उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

02/07

5. अधीक्षण अभियन्ता, जानपद निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, पिपरी/माताटीला।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, पिपरी/माताटीला।
9. अधिशासी अभियन्ता (परि० एवं अनु०), रिहन्द जल विद्युत गृह, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, पिपरी, सोनभद्र।
10. अधिशासी अभियन्ता, रिहन्द कालोनी सिविल अनुरक्षण खण्ड, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, पिपरी, सोनभद्र।
- ✓ 11. अधिशासी अभियन्ता (नु०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ को निगम के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/वित्त एवं लेखा, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, विकासदीप, लखनऊ।
13. सम्बन्धित अधिकारी :- (i) श्री चैलेन्द्र प्रताप (200205), अधीक्षण अभियन्ता (वि०/याँ०)।
(ii) श्री दान बहादुर यादव, (200206), अधीक्षण अभियन्ता (वि०/याँ०)।
14. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

QZm
30/06/2023

(मो० अलीम)

उप सचिव (का० एवं प्रशा०)